केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

469. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग हेतु अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) (क) से (ग) राजभाषा विभाग ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित संवैधानिक उपबन्धों, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1976, तथा राष्ट्रपति जी के आदेश, 1960 के आधार पर सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग हेतु समय-समय पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों / संबद्ध कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों को अनेक आदेश अनुपालन हेतु परिचालित किए हैं। इन अनुदेशों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन के अनेकानेक पहलुओं के अतिरिक्त सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं का भी वर्णन है।

(घ) और (ङ) हिन्दी में निर्धारित मात्रा में सरकारी कामकाज करने पर कर्मचारियों/अधिकारियों को मानकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय है।

दमन और दीव में भवन-निर्माताओं द्वारा धोखाधड़ी

470. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भवन निर्माता प्लाट और फ्लैट बुक करने के नाम पर क्रेताओं से धनराशि वसूलते हैं और उन्हें धोखा देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दमन और दीव में पुलिस को इन भवन निर्माताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) भवन निर्माताओं (बिल्डरों) द्वारा धोखा-धड़ी अथवा बेईमानी करने से संबंधित अपराधों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) दमन और दीव के प्रशासन के अनुसार, पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन

471. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक वर्ष इन संगठनों को किन-किन देशों से कितना-कितना अंशदान मिला है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन संगठनों द्वारा इन निधियों का दुरुपयोग किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो संबंधित संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अंशदान प्राप्तकर्ता कितने संगठनों का पंजीकरण रद्द किया गया अथवा उनका वर्गीकरण घटाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) वर्ष 1990, 1-1-91 से 31-3-1992 और 1992-93 के दौरान जिन संगठनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है उनकी राज्यवार संख्या का एक अनुपत्र संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र संख्या 9]

(ख) 1990, 1991-92 (1-1-91 से 31-3-92) और 1992-93 के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त विदेशी अभिदाय का एक अनुपत्र संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र संख्या 10]

(ग) से (ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले संगठनों के बारे में जब कभी भी पता लगता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 1-1-1992 से 31-12-94 की अवधि के दौरान 6 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए निषिद्ध किया गया और 12 पंजीकृत एसोसिएशनों को पूर्व अनुमति प्राप्त करने की श्रेणी में रखा गया।

National human rights commission report on tribal women

472. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA:
SHRI S. AUSTIN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the National Human Rights Commission has expressed concern over the plight of tribal women in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether National Human Rights Commission submitted a report in this regard to the Central Government;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the follow up action taken by the Central Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Does not arise.

Foreign assistance to insurgents in North Eastern States

473. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether terrorists in the North-Eastern States, particularly in Meghalaya, Nagaland and Mizoram are getting support from the foreign missionaries;

(b) whether these terrorists are getting funds from foreign missionaries to purchase arms from abroad;

(c) if so, the measures taken by Government in this regard;

(d) whether Government propose to take stringent measures to check terrorist activities in these States; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) No, Sir. The Government is aware of the reports of assistance being received by the insurgent groups of North-Eastern States from the neighbouring countries. However, no conclusive evidence has come to the notice of the Government in regard to direct support of foreign missionaries to the North Eastern insurgent groups for purchase of arms etc.

(d) and (e) The insurgency situation in the North-Eastern States is